minutes

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

Website : www.vmou.ac.in

56 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

स्थल	:	कुलपति सचिवालय
दिनांक	:	05 जनवरी 2018, शुक्रवार
समय	:	दोपहर 12.30 बजे

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

माननीय सदस्यों की सूची

1	*प्रो. अशोक शर्मा* कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2	*शासन सचिव* उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	सदस्य
3	*सभांगीय आयुक्त* कोटा सभांग, कोटा	सदस्य (वित्त विभाग के प्रतिनिधि)
4	कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य (विशेष आमंत्रित)
5	डॉ0 रश्मि बोहरा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर	सदस्य
6	श्री अरविन्द गोयल, सी.ए. 15–ए, बल्लभनगर, कोटा	सदस्य
7	*एस. एन. शर्मा* वित्त नियंत्रक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सदस्य–सचिव

VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
रावतभाटा रोड, कोटा

कार्यवाही विवरण

(56 वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2018)

वि.स.क्र. 56.1 : वित्त समिति की 55वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–

वित्त समिति की 55 वीं बैठक दिनांक 27.12.2016 को कुलपति सचिवालय में प्रो. अशोक शर्मा, कुलपति, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय, कोटा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
55 वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक 1811–14 दिनांक 03/1/17 द्वारा प्रसारित किया गया।

अतः गत बैठक का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा अवलोकन कर कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 56.2 : 55वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.12.2016 में लिये गये निर्णयों का अनुपालना–प्रतिवेदन :–

बिन्दु सं.	कार्य बिन्दु का विवरण	वित्त समिति द्वारा लिया गया निर्णय	क्रियान्विति
55.1	वित्त समिति की 54वीं बैठक दिनांक 25/01/16 का कार्यवाही विवरण (Minutes) अनुमोदनार्थ।	वित्त समिति की 54वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।
55.2	वित्त समिति की 54वीं बैठक दिनांक 25/01/16 में लिये गये निर्णयों पर पालना प्रतिवेदन (Action Taken Report) वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	वित्त समिति की 54वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के पालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।
55.3	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016–17 का संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2017–18 का प्रस्तावित बजट अनुमान अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2016–17 हेतु रू. 6828.50 लाख का बजट एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु रू. 6682.25	समिति के निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी।

		लाख का बजट अनुमोदित कर विवरण साथ में अनुलग्नक "क" पर संलग्न है के अनुरूप वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। समिति द्वारा आय की सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का निर्देश दिया गया।	
55.4	शुल्क वापसी के नियम निर्माण सम्बन्धित प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदन हेतु।	समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर समिति द्वारा प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बन्धित लिये गये निर्णय को क्रमशः जुलाई 2016 एवं जून 2016 से लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	निर्णयानुसार ही कार्यवाही की जा रही है।
55.5	राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त पत्रांक आर.के.सी.ल / 16–17 / 576 दिनांक 07.10.2016 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा आर.के.सी.एल. प्रमाण पत्र हेतु पुस्तिका छपवाने हेतु दरों का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	समिति द्वारा पुस्तकों के प्रिन्ट कार्य हेतु आर.के.सी.एल. स्तर पर प्रस्तुत प्रस्ताव को विचारोपरान्त अस्वीकार करते हुए अनुबन्ध के अनुसार ही कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए सूचित कर दिया गया है।
55.6	अनाथ बच्चो हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने बाबत् प्रस्ताव।	समिति द्वारा विचारोपरान्त राज्यपाल सचिवालय, राजभवन से प्राप्त पत्र दिनांक 03, जून 2016 के क्रम में विश्वविद्यालय में अनाथ बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने पर अनुमति प्रदान की गई। अनाथ बच्चों की पहचान हेतु प्रमाण पत्र स्थानीय निकाय / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा पंजिकृत एन.जी.ओ. से मान्य होंगे।	समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
55.7	शिक्षा विद्यापीठ द्वारा संचालित बी0एड0 कार्यक्रम के दैनिक पाठ षिक्षण में में मेंटर (प्रेक्टिस टीचिंग पर्यवेक्षक को देय मानदेय में वृद्धि तथा बी.एड. कार्यक्रम में एन.सी.टी.ई. द्वारा सम्पर्क शिविर की अवधि प्रति	समिति द्वारा निदेशक क्षिक्षा विद्यापीठ के बी.एड. कार्यक्रम के दैनिक पाठ शिक्षण एवं सम्पर्क शिविर की दरें नियमानुसार	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।

	षिविर 12–12 दिवस से 6–6 दिवस किये जाने पर मानदेय दिवसों के आधार पर न होकर प्रति कैम्प (सम्पर्क शिविर) 52वीं वित्त समिति के निर्णयानुसार दिया जाये।	बढ़ाये गये मानदेय पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	
55.8	कुलपति समन्वय समिति की दिनांक 29 जनवरी 2016 को आयोजित बैठक में राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देष दिये गये है कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जाये। इसी कम में नोडल अधिकारी (उद्यमिता एवं कौषल विकास केन्द्र) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत है।	समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अर्जित शुल्क से रू. 150/– लाख का प्रावधान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।	निर्णयानुसार अभी रू. 75.00 लाख की धनराशि स्थानान्तरित की गयी।
55.9	विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सुविधा योजना आदेश के समिति द्वारा अनुमोदन प्रस्ताव।	समिति द्वारा राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ1(5)एफडी रूल्स 2009 जयपुर दिनांक 08.12.2016 का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की गयी।
55.10	विश्वविद्यालय परिसर में पृथक से विज्ञान संकाय बाबत् भवन का निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव।	समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पृथक से विज्ञान संकाय बाबत् भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव का अवलोकन कर यह निर्देशित किया गया कि उक्त भवन का निर्माण कार्य विश्वविद्यालय के स्वयं के स्रोत से आवन्टित बजट से प्रारम्भ करा दिया जाये। RUSSA से अनुदान प्राप्त होता है तो इसे भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये। निर्माण कार्य भवन निर्माण समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।	निर्णयानुसार कार्यदायी एजेन्सी को प्रथम भुगतान रू. 163.25 लाख किया जा चुका है व भवन का नक्शा तैयार हो चुका है। कार्यकारी एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी., कोटा द्वारा आलोच. निर्माण कार्य के समक्ष निविदा अमंत्रित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।
55.11	क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर कार्यालय के प्रथम–तल के निर्माण कार्य बाबत् प्रस्ताव।	समिति द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र जोधपुर कार्यालय के प्रथम तल के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित व्यय राशि रू. 73.47 लाख के व्यय का भवन निर्माण मद से व्यय करने के प्रस्ताव का	आलोच्य निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी के निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

		अनुमोदन किया गया। निर्माण कार्य भवन निर्माण समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।	
T 55. 12.1	सी.यू.जी. मोबाईल के मासिक बिल की सीमा का निर्धारण	समिति द्वारा सी.यू.जी. मोबाईल के मासिक बिल की सीमा के पुर्ननिर्धारण हेतु प्रस्ताव का अवलोकन कर यह निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन कर समिति की अनुसंशानुसार निर्णय लिया जाये। समिति में प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर, श्री फूल सिंह मीना एवं श्री डी.के. सिंह सदस्य होंगे।	समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गठित उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रकरण को आस्थगित किया गया ।

संकल्प	**55 वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.12.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना का अवलोकन कर समिति द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।**

वि.स.क्र. 56.3 : बजट नोट :–

विश्वविद्यालय के वित्त एवं लेखा सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्बन्ध में वांछित व्याख्यात्मक बजट नोट समिति के समक्ष अवलोकन एवं परिशीलन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	**समिति द्वारा बजट नोट का अवलोकन किया गया।**

वि.स.क्र. 56.4 : विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों वित्तीय वर्ष 2017–18 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान के अनुमोदन के सम्बन्ध में:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये आय का अनुमान रुपये 7333.35 लाख रखा गया था, जिसके समक्ष दिनांक 28.12.2017 तक राशि रुपये 7089.61 लाख की आय/प्राप्तियां हुई है। वित्त वर्ष 2017–18 की शेष अवधि में संभावित आय को दृष्टिगत रखते हुये राशि रुपये 8395.73 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्वोक्त प्राप्तियों में राज्य सरकार से संभावित अनुदान राशि रुपये 552.75 लाख भी सम्मिलित है।
इसी प्रकार वित्त वर्ष 2018–19 के लिये संभावित आय के दृष्टिगत राशि रुपये 8306.50 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला आयोजना भिन्न मद में संभावित अनुदान राशि रुपये 900.00 लाख समाहित है।

परिशिष्ट – 1

INCOME

(Rs. in lacs)

Actual Income 2016-17	Budgeted Income (B.E.) 2017-18	Actual Income Upto 28 Dec. 2017	Revised Estimate (R.E.) 2017-18	Budget Estimate (B.E.) 2018-19
8160.13	7333.35	7089.61	8395.73	8306.50

अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये संशोधित आय के अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये आय के अनुमान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों के वर्ष 2017–18 के लिये प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तुत बजट प्रावधानों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाने की अभिशंसा की गयी।

वि.स.क्र. 56.5 : विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 के व्यय के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के व्यय के बजट अनुमान अनुमोदन के सम्बन्ध में :–

विश्वविद्यालय व्यय मद में वित्त वर्ष 2017–18 के लिये राशि रुपये 6682.25 लाख के व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु वित्त वर्ष 2017–18 में दिनांक 28.12.2017 तक राशि रुपये 4744.38 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। इसलिए शेष अवधि में संभावित व्यय को दृष्टिगत रखते हुए वित्त वर्ष 2017–18 के लिये संशोधित व्यय राशि रुपये 7975.25 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

इसी प्रकार वित्त वर्ष 2018–19 के लिये संभावित व्यय को मध्यनजर रखते हुये राशि रुपये 8179.00 लाख के बजट अनुमान प्रस्तावित किये गये है।

परिशिष्ट – 2

EXPENDITURE

(Rs. in lacs)

Actual Expenditure 2016-17	Budgeted Expenditure (B.E.) 2017-18	Actual Expenditure Upto 28 Dec. 2017	Revised Estimate (R.E.) 2017-18	Budget Estimate (B.E.) 2018-19
6091.25	6682.25	4744.38	7975.25	8179.00

अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये संशोधित व्यय के अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये व्यय के अनुमान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017—18 में छात्रों की संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा व्यय, अध्ययन सामग्री मुद्रण व्यय एवं विभिन्न कोषों में आवश्यक निवेश के परिपेक्ष्य में आलोच्य वित्त वर्ष 2017—18 में संशोधित व्यय के अनुमान में उक्तानुसार वृद्धि की गई है। जो समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा विश्वविद्यालय के व्यय मद के वर्ष 2017—18 के लिये प्रस्तुत संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2018—19 के लिये प्रस्तुत बजट प्रावधानों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जाने की अभिशंसा की गयी।

वि.स.क्र.56.6 : **आयोजना एवं आयोजना भिन्न अन्तर्गत बजट मद में टोकन प्रावधान होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में :—**

राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017—18 में बजट निर्णायक समिति की बैठक में आयोजना मद में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है एवं आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद हेतु अनुदान राशि रू. 552.75 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया था।

अतः इन मदों में होने वाले अतिरिक्त व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र.56.7 : **सेन्टर फॉर इन्टरप्रिन्योरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेन्ट (सी.ई.एस.डी.) के अन्तर्गत संचालित विविधि कार्यक्रमों के समक्ष मानदेय/किराये/सामग्री की दरों के निर्धारण के संबंध में**

(इन्चार्ज सीईएसडी)

सेन्टर फॉर इन्टरप्रिन्योरशिप एण्ड स्किल डेवलपमेन्ट (सी.ई.एस.डी.) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु विभिन्न मदों में दरों का निर्धारण माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्ववविद्यालय अधिनियम की धारा 8(4) के अन्तर्गत निम्नानुसार किया गया है :—

क्रमांक	विवरण	राशि रू.	टिप्पणी
1	प्रशिक्षकों, संदर्भ व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों हेतु मानदेय	500.00 प्रति सत्र	एक सत्र 90 मिनट का होगा।
2	प्रशिक्षण /कार्यक्रम संचालन हेतु भवन किराया	5000.00 एक मुश्त (अधिकतम सीमान्तर्गत)	10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए
3	प्रशिक्षण सामग्री/विविध व्यय	5000.00 एक मुश्त (अधिकतम सीमान्तर्गत)	10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए

अतः पूर्वोक्त दरें अवलोकनार्थ एवं पुष्टि हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर पूर्वाक्त सारणी में अंकित दरों की पुष्टि की गई ।

वि.स.क्र.56.8

राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर संशोधित /निर्धारित वेतन–भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा सहायता पुनर्भरण, पी.एफ. ब्याज दरों, पेन्शन परिलाभों इत्यादि के अंगीकृत करने के संबंध में

विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत वांछित वेतन एवं भत्तों के भुगतान की कार्यवाही की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित वेतन–भत्तों, यात्रा भत्तों, चिकित्सा सहायता पुनर्भरण, पी.एफ. ब्याज, पेन्शन परिलाभों इत्यादि की दरों को यथावत् अंगीकृत किया जाता है।
अतः राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर जारी नियमों /निर्देशों /संशोधित दरों इत्यादि को (विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों में उपबन्धित के सिवाय) विश्वविद्यालय में यथावत् अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र.56.9

विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों की सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षित अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन के संबंध में :–

विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा किया जा चुका है। जो समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्वोक्त वार्षिक लेखों के सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

वि.स.टे.क्र. 56.10.1: वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि की विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(उपकुलसचिव वित्त एवं लेखा)

विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि के विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण बाबत् पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 3188 दिनांक 15/3/16 एवं पत्रांक 3184 दिनांक 15/3/16 के माध्यम से शासन सचिवालय को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा जांचोपरान्त अपने पत्र संख्या प.9(1)उ.शि.–5/2013 दिनांक 10/2/16 के माध्यम से निदेशक विशेष जांच जयपुर को उक्त पैरों को निरस्त करने हेतु संस्तुति करते हुए विश्वविद्यालय को सूचित किया गया था।

अनुच्छेदों का विवरण निम्न प्रकार है–निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994–95 पै. सं.– 2,3,5,6,7,10,11,13,14,42 एवं 47 कुल अनु. 11 निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 पै. सं.– 3,8,11,23,24,27,34,35,36,37,39,40,41,44,69 एवं 70 कुल अनु. 16 पुनः विशेष जांच विभाग, जयपुर द्वारा अपने पत्र संख्या एफ.7 वि.जां./17/1994–95/3188 दिनांक 15/3/16 के माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित किया गया कि उक्त प्रतिवेदनों की विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन करवा कर निस्तारण हेतु इस कार्यालय को पुनः प्रस्तुत किया जायें। निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 30/12/2016 को सम्पन्न 94वीं बैठक पैरा 94/08 में उक्तानुसार कार्यवाही बाबत् प्रस्तुत किया गया था। प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचारोपरान्त "वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 की अवधि के विशेष जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों के निस्तारण करवाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव वित्तीय प्रकृति का होने के कारण प्रबन्ध मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तदुपरान्त इस प्रस्ताव को निर्णय हेतु प्रबन्ध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

अतः समिति से अनुरोध है कि विगत कई वर्षों के लम्बित जांच प्रतिवेदनों के आक्षेपों को शासन स्तर पर निरस्त किये जाने की संतुति के कम में वित्त समिति से अनुमोदन किये जाने की संतुति को प्रबन्ध मण्डल में रखे जाने हेतु समिति के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा विशेष जांच प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 के अनुच्छेद संख्या 3,8,24,70 का वित्त नियंत्रक द्वारा परीक्षणोंपरान्त बोर्ड के अनुमोदन हेतु माननीय कुलपति महोदय को प्रावधित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।**

वि.स.टे.क्र. 56.10.2 कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के पत्रांक वमखुवि/संकाय/18/27 दिनांक 03/1/18 द्वारा विद्या परिषद की 57वीं बैठक दिनांक 02, जनवरी 2018 एवं राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक 6462 दिनांक 21/08/2017 में लिये गये निर्णय की पालना में विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग से सम्बन्धित कार्यों हेतु शिक्षकों का मानदेय की अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने के संबंध में–

(परीक्षा नियंत्रक)

राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र कमांक एफ.1(38)आर.बी./2015/6462 दिनांक 21/8/2017 तथा 57वीं विद्या परिषद द्वारा दी गई सहमति पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों को विभिन्न कार्यों के लिए दिए जा रहे मानदेय की अधिकतम सीमा में निम्नानुसार वृद्धि प्रस्तावित है –

- किसी भी परीक्षक/शिक्षक को एक शैक्षणित सत्र के लिए उत्तर पुस्तिका मुल्याकन हेतु प्रदान किये जाने वाले मानदेय की अधिकतम सीमा रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख) करने का प्रस्ताव। पूर्व में उक्त सीमा 60,000/– (रू. साठ हजार) थी।
- किसी भी परीक्षक/शिक्षक को एक शैक्षणिक सत्र के लिये परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण करने हेतु अधिकतम मानदेय की सीमा रू. 60,000/– (रू. साठ हजार) निर्धारित की गई है, पूर्व में उक्त प्रावधान नहीं होने के कारण प्रश्न पत्र निर्माण के कार्य के लिये दिये जाने वाले मानदेय को भी मूल्यांकन हेतु दिए जाने वाले मानदेय की अधिकतम सीमा में ही सम्मिलित किया जा रहा था।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा राज्यपाल सचिवालय से जारी पत्र दिनांक 21.8.2017 के परिपेक्ष्य में प्रत्येक परीक्षक को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिये मानदेय की अधिकतम सीमा रू. 1.00 लाख एवं प्रश्न पत्र तैयार करने संबंधी कार्य के मानदेय की अधिकतम सीमा 60.00 हजार नियत करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

वि.स.टे.क्र. 56.10.3 **राज्यपाल सचिवालय के पत्र कमांक 6462 दिनांक 21/8/2017 की पालना में विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की शुल्कों की दरों में संशोधन एवं नवीन शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में –**

(परीक्षा नियंत्रक)

राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त पत्र कमांक एफ.1(38)आर.बी./2015/6462 दिनांक 21/8/2017 तथा 57वीं विद्या परिषद द्वारा दी गई सहमति पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को दी जा रही सुविधा के लिये वसूले जा रहे शुल्क की दरों में निम्नानुसार संशोधन एवं नवीन शुल्क निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है –

क. सं.	शुल्क का विवरण	वर्तमान में शुल्क राशि रू.	प्रस्तावित शुल्क राशि रू.
1.	डुप्लिकेट अंकतालिका का शुल्क।	50/–	100/–
2.	अग्रिम अंकतालिका का शुल्क।	कोई शुल्क नहीं।	200/–
3.	डुप्लिकेट मेरिट सर्टिफिकेट का शुल्क।	कोई शुल्क नहीं।	200/–
4.	डुप्लिकेट डिग्री का शुल्क।	100/–	500/–
5.	विश्वविद्यालय में प्रवेशरत विद्यार्थियों की प्रथम परीक्षा पश्चात मास्टर डाटा में संशोधन हेतु शुल्क	कोई शुल्क नहीं।	200/–

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरों को निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.टे.क्र. 56.10.4: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक F.1-3/2007(ccp-II) dt. 11-01-2016 एवं F.1-3/2007(ccp-II) dt. 23-04-2007 के अन्तर्गत परीक्षा शुल्क लौटाए जाने के संबंध में – (परीक्षा नियंत्रक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पत्र की पालना के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव विचार विमर्श हेतु विद्या परिषद की 57वीं बैठक में प्रस्तुत किए गये थे, विद्या परिषद द्वारा इन प्रस्तावों को सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की गई जो वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ एवं अनुमोदन के संबंध में –

- छात्र अंक सुधार हेतु आवेदन करता है तथा अयोग्य पाये जाने पर रू. 100/– प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में काट कर बकाया शुल्क वापस किया जायेगा।
- छात्र का परीक्षा परिणाम नहीं निकलने पर अग्रिम गोपनीय परीक्षा परिणाम हेतु या पुनर्मूल्यांक हेतु आवेदन करता है तथा किसी कारणवश अयोग्य पाया जाता है तो रू. 100/– प्रोसेसिंग चार्ज काटा जायेगा और बकाया शुल्क वापस किया जायेगा।
- यदि छात्र ने पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन किया है तथा पुनर्मूल्यांकन का परिणाम नहीं आने से पहले परीक्षा आवेदन पत्र जमा कराकर परीक्षा में सम्मिलित हो गया तो रू. 100/– परीक्षा शुल्क काटा जायेगा और बकाया शुल्क वापस किया जायेगा।
- मर्सी परीक्षा हेतु बिना अनुमति के शुल्क जमा करने वाले अयोग्य/दुबारा मर्सी परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर बकाया शुल्क लोटाने हेतु प्रस्ताव।
- विद्यार्थियों को डिफाल्टर परीक्षा के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन फीस जमा करने पर ऑफलाईन आवेदन की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर बकाया शुल्क लोटाने हेतु प्रस्ताव।
- ऑफलाईन परीक्षा फार्म आवेदन करने पर विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क में से प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 100/– काटकर बकाया शुल्क लोटाने हेतु प्रस्ताव।

उक्त निर्णय जून–2016 की परीक्षा से प्रभावी होंगे।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरें निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.टे.क्र. 56.10.5: विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को दी जा रही/प्रस्तावित सुविधाओं के लिए निम्नानुसार शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव विद्या परिषद की 57वीं बैठक दिनांक 02 जनवरी 2018 की बैठक में प्रस्तुत किए गए थे, विद्या परिषद द्वारा अनुशंसा पश्चात वित्त समिति में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ एवं अनुमोदन के संबंध में –

(परीक्षा नियंत्रक)

विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को मूल अंकतालिका रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जा रही है, कई बार छात्र का पता पूर्ण नहीं होने अथवा प्राप्तकर्ता पते पर उपलब्ध नहीं होने आदि के कारणों से अंकतालिकाएं विश्वविद्यालय में लौटकर आ जाती है। अतः अंकतालिका पुनः छात्र को प्रेषित करने पर डाक व्यय राशि रू. 50/– लिया जाना प्रस्तावित है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरें निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.टे.क्र. 56.10.6: विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को **Official Transcript** उपलब्ध कराने के संबंध में –

(परीक्षा नियंत्रक)

विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों/नियोक्ताओं को उनकी मांग पर उपलब्ध करवाई जाने वाली Official Transcript अभी तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, इसका शुल्क रूपये 3000/– निर्धारित करने का प्रस्ताव विद्या परिषद की 57वीं बैठक में लिया गया। Official Transcript के साथ–साथ अतिरिक्त प्रति की मांग करने पर रूपये 500/– प्रति अतिरिक्त प्रति लिए जाने का अनुमोदन किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित दरें निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.टे.क्र. 56.10.7 विश्वविद्यालय – कार्मिकों को अतिरिक्त कार्य की एवज में मानदेय/पारिश्रमिक दरों के निर्धारण के संबंध में –

(परीक्षा नियंत्रक)

परीक्षा विभाग में परीक्षा आयोजन सबंधी विभिन्न कार्य जैसे प्रश्न पत्र भेजने, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम की घोषणा, अंकतालिका एवं डिग्री मुद्रण, जांच एवं वितरण, विभिन्न प्रकार के बिलों की जांच जैसे विभन्न कार्य किये जाने की एवज में विभाग में नियुक्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण को प्रत्येक सत्रांत परीक्षा में लगभग 60 दिन समय से पूर्व या पश्चात या दोनों समय रूक कर और अवकाश के दिन भी उपस्थित रहकर काम करने पर राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र कमांक एफ.1(38)आर.बी./2015/6462 दिनांक 21/8/2017 के पत्र के कम में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा अनुमोदित दरों के समकक्ष दरें निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है –

1. ***Subordinate accounts / Ministrial Staff - Rs. 250/- per day***
2. ***Class IV /Supporting staff - Rs. 150/- per day***

चूंकि विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में दों बार परीक्षा का अयोजन किया जांता है अतः किसी एक कर्मचारी को एक परीक्षा के लिए दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक अधिकतम 60 दिन (दो परीक्षाओं के लिए 120 दिनों) से अधिक नहीं होने की सीमा भी निधारित किया जना प्रस्तावित है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया तथा परीक्षा कार्य/सत्र के कार्य दिवसों के दौरान एवं अवकाश के दिनों में अतिरिक्त समय में कार्मिकों द्वारा संपादित अतिरिक्त कार्य की एवज में निम्नानुसार मानदेय स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई — 3. *Subordinate accounts / Ministrial Staff - Rs. 250/- per day* 4. *Class IV /Supporting staff - Rs. 150/- per day* *शर्तें — **i.** एक कर्मचारी को एक परीक्षा के लिए दिए जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक अधिकतम 60 दिन जो प्रत्येक सत्र में दो परीक्षाओं के लिए 120 दिनों से अधिक नहीं होगा।* ***ii.** एक कर्मचारी को कुल मानदेय प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्ष) 1 माह के अधिकतम मासिक वेतन (मूल) से अधिक देय नहीं होगा।* ***iii.** अतिरिक्त कार्य के कारण कर्मचारी का मूल कार्य दुष्प्रभावित नहीं होना चाहिए।* ***iv.** अतिरिक्त कार्य के समक्ष नियमानुसार उपस्थिति पंजिका का संधारण किया जावे।*

वि.स.टे.क्र. 56.10.8 परीक्षा कार्य के लिए एक लोडिग वाहन क्रय किये जाने के संबंध में — (परीक्षा नियंत्रक)

विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में वर्तमान में परीक्षा कार्य संबंधी ट्रान्सपोर्टेशन हेतु पृथक से कोई लोडिग वाहन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण पूर्वोक्त कार्य संविदा एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध वाहनों से संपादित कराया जा रहा है तथापि विश्वविद्यालय में चालक के पद स्वीकृत है। विश्वविद्यालय का स्वयं का लोडिग वाहन क्रय किये जाने से परीक्षा विभाग को उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों, स्टेशनरी इत्यादि सामग्री के विभिन्न परीक्षा केन्दों तक लाने ले जाने /परिवहन कार्य के लिए सुगमता रहेगी तथा किराये के व्यय में भी न केवल कमी आयेगी अपितु परिवहन कार्य भी यथासमय सुरक्षित, संरक्षित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सकेगा।

अतः पूर्वोक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में परीक्षा विभाग हेतु पृथक से एक वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। जिस पर अनुमानित लागत राशि रू. 15.00 लाख का व्यय होगा।

संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रस्तावित वाहन क्रय किये जाने हेतु राशि रू. 15 लाख का बजट प्रावधान (वर्ष 2018—19) स्वीकृत किया गया।**

वि.स.टे.क्र. 56.10.9 वैद्यानिक समितियों के बाह्रय सदस्यों को देय मानदेय की दरों में वृद्वि के संबंध में – (कुल सचिव)

वैद्यानिक समितियों यथा कुलपति चयन समिति, अधिकारियों एवं कार्मिकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति, प्रबंध मंडल, विद्या परिषद, आयोजना मंडल एवं वित्त समिति के बाह्रय सदस्यों को एक समान 2500/–(रू0 दो हजार पांच सौ रू0) मानदेय (सिटिग चार्जज) प्रति बैठक दिया जाना प्रस्तावित है।

संकल्प	समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया एवं स्थानीय विश्वविद्यालयों की दरों के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय की पूर्वोक्त विभिन्न विधिक समितियों के बाह्य सदस्यों को रू. 2000.00 (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) प्रति सदस्य /प्रति बैठक मानदेय की दरें निर्धारित /संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

कुलपति एवं अध्यक्ष
(वित्त समिति)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव,
वित्त समिति,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

परिशिष्ट संख्या–01

Income

Revised Budget Estimates for the Year 2017-18 and Budget Estimates for the Year 2018-19

(Rs. In lacs)

S.N.	Income Head	Actual Income 2016-17	Budgeted Income (B.E.) 2017-18	Actual Income Upto 28 Dec. 2017	Revised Estimate (R.E.) 2017-18	Budget Estimate (B.E.) 2018-19
1	2	3	5	6	7	8
A. Income from University Own Sources						
1	Self Financing Courses	6060.00	5700.00	5430.00	6230.00	6250.00
2	Interest on Deposits	350.00	465.00	312.00	390.00	350.00
3	Quarter Rent	1.53	7.50	1.18	1.58	1.50
4	Light & Water Charges	5.47	7.50	3.36	4.48	4.00
5	Misc. Fee & Other Receipts	0.63	0.60	0.69	0.92	1.00
6	RKCL Income	1240.00	600.00	1066.00	1216.00	800.00
	Total "A"	**7657.63**	**6780.60**	**6813.23**	**7842.98**	**7406.50**
B. Grant from State Govt. (Non-Plan Grant)		502.50	552.75	276.38	552.75	900.00
Grant Total :		**8160.13**	**7333.35**	**7089.61**	**8395.73**	**8306.50**

परिशिष्ट संख्या—02

EXPENDITURE

Revised Budget Estimates (R.E.) 2017-18 and Budget Estimates (B.E.) 2018-19

(Rs. In Lakhs)

S.N.	Head of Expenditure	Actual Expenditure 2016-17	Budgeted Expenditure (B.E.) 2017-18	Actual Expenditure Upto 28 Dec. 2017	Revised Estimate (R.E.) 2017-18	Budget Estimate (B.E.) 2018-19
A- Pay & Allowances						
1.	Pay & Allowances	2051.30	2650.00	1790.71	2650.00	3180.00
	Total of "A" :	**2051.30**	**2650.00**	**1790.71**	**2650.00**	**3180.00**
B- Other Expenditure						
2	T.A. & D.A.	8.51	20.00	6.72	20.00	20.00
3	Medical Re-imbursement	21.76	30.00	20.37	35.00	40.00
4	Contengencies(Meetings/Outsource men power/Misc	54.13	65.00	21.11	65.00	65.00
5	Telephone Charges	7.53	7.00	4.53	7.00	7.00
6	Postage (Study Material & Postage)	120.75	130.00	70.97	130.00	150.00
7	Stationery	14.39	22.00	10.63	22.00	25.00
8	Liveries	1.00	3.50	2.80	3.50	4.00
9	Light & Water Charges	55.26	60.00	45.52	62.00	65.00
10	Security Services Expenses	44.90	55.00	51.67	65.00	70.00
11	Rent of Office Building	1.80	4.00	2.70	4.00	4.50
12	Hired Vehicle Charges	10.02	10.00	13.02	15.00	18.00
13	Legal Expenses	1.68	4.00	1.14	4.00	4.00
14	Membership Fee	0.50	1.00	0.50	1.00	1.00
15	Audit Charges	0.25	2.00	1.50	3.50	4.00
16	Publicity & Advertisement	54.82	55.00	38.99	55.00	60.00
17	V.C. Hospitality	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00
18	Convocation & Other functions (Deepawali/Holi/Eid etc)	6.43	30.00	9.58	30.00	30.00
19	Maintenance of Building & Plantation	20.46	30.00	14.98	30.00	40.00
20	Maintenance of Guest-House	0.59	2.50	0.30	2.50	2.50
21	Examination Expenses	432.51	650.00	514.00	900.00	1000.00

22	Evaluation of Assignments	21.56	20.00	19.00	30.00	35.00
23	Payment to Study centers	336.50	300.00	115.00	300.00	200.00
24	Printing/Purchase of Study Material	760.26	1000.00	515.00	1200.00	1300.00
25	Insurance Charges	1.23	2.25	1.14	2.25	2.50
26	Repair of Furniture & Equipments	4.84	10.00	0.50	5.00	10.00
27	Running & Maintenance of Vehicle/DG Set	9.23	18.00	6.64	18.00	15.00
28	Student Support Services	49.79	100.00	70.25	110.00	125.00
29	Staff Training & Development	0.00	1.00	0.20	1.00	1.00
30	Seminar/Workshop/Foriegn visit	0.08	2.50	0.00	2.50	2.50
31	Development of SIM	0.00	40.00	0.00	20.00	40.00
32	Maitenance of Computers /Studio	0.98	3.50	0.60	3.50	5.00
33	Publication of University E Journals	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00
34	Mediclaim Policy in New Contribution Pension Scheme	2.08	4.50	2.31	4.50	5.00
35	Payment of Stipend (Library)	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00
36	RKCL Exp.	490.41	430.00	525.00	700.00	600.00
	Total of "B" :	**2534.25**	**3117.25**	**2086.67**	**3853.25**	**3954.00**
C- Provision/Funds						
37	Provision for Building Fund	700.00	150.00	150.00	200.00	100.00
38	Provisions for Corpus Fund	187.00	150.00	150.00	220.00	150.00
39	Provisions for Technology Fund/Automisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Campus Development Fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Staff Welfare Medical Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
42	Staff Welfare Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
43	Gratuity Fund	200.00	200.00	200.00	375.00	200.00
44	Pensioner Medical Fund	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00
45	Provisions of Pension	400.00	350.00	350.00	600.00	500.00
46	Vice-Chancellor Disc. Fund	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Total of "C" :	**1495.00**	**855.00**	**855.00**	**1400.00**	**955.00**
D- Capital Expenditure						
47	Purchase of Furniture & Equipments (includes Desert Cooler, Water Cooler, Zerox Machine)	4.33	15.00	12.00	30.00	50.00
48	Lab. Equipment	6.37	15.00	0.00	15.00	20.00
49	Library Books	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00
50	Purchase of Vehicle	0.00	20.00	0.00	22.00	15.00
	Total: "D"	**10.70**	**60.00**	**12.00**	**72.00**	**90.00**
Grant Total of "A+B+C+D" :		**6091.25**	**6682.25**	**4744.38**	**7975.25**	**8179.00**

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 8(8) शिक्षा–4/2002 जयपुर, दिनांकः 04.01.2018

वित्त नियंत्रक एवं सचिव वित्त समिति,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषयः– वित्त समिति की 56वीं बैठक दिनांक 05.01.2018 के आयोजन बाबत।
संदर्भः– विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक 1455–61 दिनांक 20.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 05.01.2018 को मध्यान्ह 12.30 बजे विश्वविद्यालय के कोटा मुख्यालय पर स्थिति कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में वित्त समिति की आयोजित होने वाली 56वीं बैठक में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटा को अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि :– प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय को बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा